वित्तीय दिशा निर्देशन

1. **कार्यक्रम का नाम –** अनुबंध पर कार्यरत ए०एन०एम० (आर०) मानेदय के संबंध में।

2. **बजट / एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 1 के आधार पर)**
 – अनुबंध पर कार्यरत ए०एन०एम० (आर०) मानेदय।

3. बजट क्रम संख्या / एफ०एम०आर० कोड संख्या (अनुलग्नक 1 के आधार पर)
 – 3.1

4. कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (5–10 वाक्य अधिकतम)
 – राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य सेवा को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य में अनुबंध के आधार पर ए०एन०एम० (आर०) का नियोजन किया गया है।

5. **इकाई राशि (रू० लाख में)**
 – कुल 6000/– रुपया प्रति माह की दर से प्रत्येक ए०एन०एम० (आर०) को मानदेय भुगतान किया जाना है।

6. **वित्तीय दिशा निर्देशन**
 – प्रत्येक ए०एन०एम० (आर०) को मानेदय के रूप में 6000/– रु० प्रति माह के दर से दिया जाना है। यह राशि जिला स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराई जाती है।

7. इस संदर्भ में यदि कोइ पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)
 – पत्रांक SHSB/AO-Cell/26-07/Part 4725 दिनांक 27.11.2007
 – पत्रांक SHSB/Admin/142/2006Part-I/8065 दिनांक 03.10.2008
 – पत्रांक SHSB/Admin/142/2006Part-I/8459 दिनांक 26.11.2008

8. **संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम**
 – डा० ए० के० तिवारी

9. **संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का फोन नंबर**
 – 9470003026

4. **कार्यक्रम का** नामः–संविदागत स्टाफ नर्स का मानदेय भुगतान।

बजट/एफ0एम0आर0 शीर्ष (अनुलग्नक के आधार पर)– Contractual (PHC doctors and staff, Contractual staff Nurse, ANM, Mobile Services.

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या (अनुलग्नक के आधार पर)–B3.1

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (5–10 वाक्य अधिकतम)– राज्य में कुल कार्यरत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं नवसृजित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रति अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 2 स्टाफ नर्स राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के तहत नियुक्त किया जाना है जिसके तहत आपके जिलों में काफी स्टाफ नर्सों की नियुक्ति की जा चुकी है। इस नियुक्ति में स्टाफ नर्सों को प्रतिमाह 7500/– मानदेय दिया जाना है, जिसके तहत जिलों से प्राप्त आवश्यकता के अनुसार राशि भेजी जा रही है।

–चूँकि यह नियुक्ति अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए की गयी है। अतः इनका मानदेय भुगतान प्रभारी, स्वास्थ्य केन्द्र के द्वारा किया जाएगा।

–प्रतिमाह मानदेय भुगतान होने से स्टाफ नर्सों की कार्य क्षमता एवं कार्य के प्रति motivation बढ़ने की पूरी संभावना है।

वित्तीय दिशा निर्देशन–अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए नियोजित स्टाफ नर्सों को प्रतिमाह 7500/– रू0 की दर से मानदेय का भुगतान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी के द्वारा किया जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को यह राशि उनके आवश्यकता के अनुसार जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा आवंटित की जाएगी।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं0 तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) (ख) (ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का फोन नंबर

प्रशासी पदाधिकारी

3. **कार्यक्रम का नामः**–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सकों एवं कर्मियों के लिए 50,000/– रू0 प्रति वर्ष की दर से अच्छे कार्य के उपलक्ष्य में प्रोत्साहन राशि।

बजट/एफ0एम0आर0 शीर्ष (अनुलग्नक के आधार पर)– (PHC doctors and staff, contractual staff nurse, ANM, Mobile Services)

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या (अनुलग्नक के आधार पर)–B3.1

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (5–10 वाक्य अधिकतम)–

–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रियाशील बनाने के उद्देश्य से अच्छे चिकित्सक एवं कर्मी को प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है।

–यह प्रोत्साहन राशि 50,000/–रू0 प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रति वर्ष होगी ।

– यह राशि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच 60:40 के अनुपात में विभाजित किया जायेगा। प्रोत्साहन राशि प्राप्त होने पर कुल 30,000/–रू0 प्रोत्साहन के रूप में चिकित्सा पदाधिकारियों एवं स्वास्थ्य प्रबंधक के बीच एवं 20,000/– रू0 की राशि अन्य कार्यरत कर्मचारियों के बीच वितरित की जाएगी।

–यह राशि जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा वितरित की जाएगी। यह जिला स्वास्थ्य समिति पर पूरा निर्भर करता है कि राशि प्रतिमाह वितरित की जाए। इस राशि में कार्यरत ANM सम्मलित नहीं होगी क्योंकि उनके लिए मुस्कान कार्यक्रम के अन्तर्गत अलग से राशि की व्यवस्था की गयी है।

–प्रोत्साहन राशि से चिकित्सकों के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने की लालसा बढ़ी है एवं चिकित्सकों एवं कर्मियों की उपस्थिति स्वस्थ्य केन्द्र में सुधरने से OPD में मरीजों के आने की संख्या में काफी बढ़ोतरी होती है।

इकाई राशि (रू0 लाख में)– 50,000/–रू0 प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रतिवर्ष।

वित्तीय दिशा निर्देशन–

–प्रोत्साहन राशि स्वीकृत करने हेतु जिला स्तर पर एक समिति बनायी गयी है जिसमें सिविल सर्जन, अध्यक्ष, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, उपाध्यक्ष एवं जिला पदाधिकारी के एक प्रतिनिधि सदस्य होंगे।

–यह समिति प्रत्येक माह बैठक कर निम्नलिखित शर्त्तों के अनुसार सभी स्वास्थ्य केन्द्रों के performance की समीक्षा कर प्रोत्साहन राशि का निर्धारण करेगी, जिसके आधार पर जिला स्वास्थ्य समिति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को राशि उपलब्ध करायेगी।

(i.) सभी स्वास्थ्य पदाधिकारी/कर्मियों की उपस्थिति 90% अनिवार्य (ii) टीकाकरण का 90% लक्ष्य की उपलब्धि होना अनिवार्य।	प्रतिमाह।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं0 तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) दिशा–निर्देश पत्र सं0 2015 दि0 13.10.08 (ख) (ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का फोन नंबर

प्रशासी पदाधिकारी

FMR Code B-3.2 RCH-II Part-I

कार्यक्रम काम नाम :- प्रखंड प्रबंधन इकाई का मानदेय भुगतान

गतिविधि का उद्देश्य	:	1. प्रखंड प्रबंधन इकाई (BPMU) की गतिशीलता को बनाये रखने एवं कार्य संस्कृति में सुधार लाने के उद्देश्य से माह के अन्तिम दिन मानदेय भुगतान सुनिश्चित करना। 2. सरकारी कार्य से किये गये यात्रा का एक माह के अन्दर भुगतान सुनिश्चित करना 3. यात्रा भत्ता का भुगतान राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा संसूचित अनुदेश के अनुरूप होगा।
गतिविधि जिसके द्वारा की जायगी	:	प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी
गतिविधि का समय	:	समयानुसार पूरे वर्ष भर
परिणाम निस्कर्ष		जिला प्रबंधन इकाई
परिणाम निष्कर्ष	:	मानदेय का भुगतान समय पर होने से कार्य संस्कृति में वृद्धि होगी तथा कर्मचारीयों के कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। जिसके परिणाम स्वरूप कार्यक्रम क्रियानान्वयन में लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि प्राप्त होगी।
चेक लिस्ट	:	7. प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक एवं प्रखंड लेखापाल का वेतन भुगतान प्रत्येक माह के 25 तारीख तक अनुपस्थिति प्रतिवेदन प्राप्त कर लेंगे। 8. प्रतिवेदन प्राप्त होते ही सक्षम पदाधिकारी से उसकी स्वीकृति प्राप्त करेंगे। 9. माह के अन्तिम दिन (अगर कार्यालय बन्द होतो) एक दिन पूर्व A/C Payee Chque काटकर संबंधित बैक में Advice

		के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित करेंगे। 10. महीना समाप्त होने पर किये गये भुगतान का Bank Statement प्राप्त करेंगे और अगर त्रुटियाँ, दृष्टियोग्य होतो Bank Reconciliation करेंगे तथा रोकड़ पुस्तिका Cheque Book Register में आवश्यक संशोधन करेंगे। 11. तत्पश्चात किये गये व्यय का व्यय प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र तैयार करेंगे तथा किये गये व्यय को FMR में अंकित करेंगे। 12. इन सारी प्रक्रियोओं को पूर्ण करने के उपरान्त प्रत्येक माह के 3 ता० तक FMR उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजना सुनिश्चित करेंगे।
इकाई लागत	:	1. प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक को प्रतिमाह प्रति जिला इकाई 12000 एवं 01.04.09 से 10 प्रतिशत वृद्धि अर्थात 1200 रूपये प्रतिमाह अनुमान्य होगा। 2. प्रखंड लेखापाल को प्रतिमाह 8000 एवं 01.04.09 से 10 प्रतिशत वृद्धि 800 रु० प्रतिमाह अनुमानय होगा। 3. Mobility & Office Expenses 25000/-प्रतिमाह। (इस राशि का उपयोग प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक एवं प्रखंड लेखापाल आवश्यकतानुसार क्षेत्र भ्रमण एवं जिला स्तरीय कार्य के लिए करना है।) 4. नवसृजित प्रखण्ड प्रबन्धक ईकाई के सुदृढ़ीकरण हेतु कम्प्युटर सिस्टम प्रिन्टर के साथ 5000/- रूपये की दर से आवंटित किया गया है, तथा 10,000/- रूपये फर्निचर के लिए अवंटित है। 5. माननीय न्यायालय द्वारा निर्णीत मामले में आवंटन हेतु प्रतीक्षा नहीं की जायें। संबंध इकाई में प्राप्त आवंटन से न्याय निर्णय के आलोक में भुगतान सुनिश्चित किया जाय

		तथा तत्काल PIP में उसका प्रावधान करते हुये राज्य स्वास्थ्य समिति को सूचित किया जाय। अरवल जिले के स्वास्थ्य प्रबंधक Vs बिहार सरकार के वाद संख्या CWJC-1033/2008 के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.03.09 के संदर्भ में 2 लाख रू० की राशि का भुगतान तत्काल सम्बन्धित व्यक्ति को करना सुनिश्चित करें तथा राज्य स्वास्थ्य समिति को कृत कारवाई की सूचना दें